

R. 5204-सी/15

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वाल्थर तर्किट कोर्ट रोवा जिला रोवा म.प्र.

507



श्री गोपाल सिंह तन्व स्व. श्री छातीराम सिंह निवासी वार्ड, 7 अन्मपुर जिला अन्मपुर म.प्र. हाल नि. वन विभाग कालोनी, अन्मपुर जिला अन्मपुर म.प्र. ---नगरा नो कर्ता

व नाम

1:- शासन म.प्र. द्वारा जिलाध्यक्ष जिला अन्मपुर म.प्र.

2:- नानसाय पनिका पिता श्री रतन लाल पनिका नि. ग्राम जमुडी तहसील अन्मपुर जिला अन्मपुर म.प्र.

3:- राजस्व निरीक्षक राजस्व मण्डल अन्मपुर तहसील व जिला अन्मपुर म.प्र.

श्री अजय पाठेप एड.  
द्वारा घेश 5.12.15

क्लक आफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल, म.प्र.  
ग्वालियर

--- नगरा नो कर्ता/

नगरा नो विरुद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल अन्मपुर तह  
अन्मपुर जिला अन्मपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक-  
36A12/014-015 से पारित आदेश दिनांक 18.5.15

नगरा नो अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. मू-राजस्व तृटिता  
तन् 1959 ईतको.

मान्यवर,

नगरा नो के आधार निम्न लिखित है:-

1:- यहकि अधीनस्थ न्यायालयके द्वारा को गई सोमाकन कार्यावाही एवं सोमाकन पुाबट  
संबंधी आदेश विधि व प्रक्रिया के विशरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यहकि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा पहले अनानो टनते मवरा तर्किट की

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-5204-तीन/2015

जिला- अनूपपुर

गोपाल सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर व नानसाय पनिका आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अजय पाण्डेय उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर, जिला-अनूपपुर, के प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18-05-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 28-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये</p>	<p>(आर.के.जेन) 22/01/19 सदस्य</p>